न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या--28/2015--16

योगेन्द्र मोहन कुमार सत्यांशी बनाम प्रकाशमणी कुमार सत्यांशी वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
26/5/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 17/2013--14 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ के द्वारा दिनांक 23.06.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है। **प्रथम पक्ष** 1. योगेन्द्र मोहन कुमार सत्यांशी, पिता स्व0 कृष्ण नन्दन पंडित, ग्राम--लखनचंद मोकामाघाट, थाना--मोकामा, जिला--पटना। **द्वितीय पक्ष** 1. प्रकाशमणी कुमार सत्यांशी 2. विनय मोहन कुमार सत्यांशी 3. शैलेन्द्र मोहन कुमार सत्यांशी, सभी के पिता स्व0 कृष्ण नंदन पंडित, पता ग्राम--लखनचंद मोकामा, थाना--मोकामा, जिला--पटना। 4. प्रवीण कुमार सिंह, पिता प्रमोद प्रसाद सिंह, ग्राम--लखनचंद मोकामाघाट, थाना--मोकामा, जिला--पटना। **विवादित भूखण्ड का विवरण**	

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
मोकामा	औंटा	25	945	381	1.02ए0

इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण उपस्थित हुए। विपक्षी सं0 1, 2 एवं 3 की तरफ से संयुक्त रूप से प्रतिउतर दायर किया गया, जिसमें आवेदक के पक्ष को सही बताते हुए दाखिल खारिज अपील वाद सं0 17/2013--14 में दिनांक 23.06.2015 को पारित आदेश को निरस्त करने तथा पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0 4 के द्वारा अपना प्रतिउत्तर एवं कागजात अलग से दाखिल किया गया है।

दिनांक 19.05.2018 को सुनवाई के क्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया कि प्रस्तुत वाद को विपक्षी की कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु बिहार भूमि दाखिल खारिज

अधिनियम, 2011 की धारा–9 के तहत सुना जाय। विपक्षी सं0 4 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इसका विरोध्र करते हुए कहा गया कि प्रस्तुत वाद दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–8 के तहत दायर किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद की सुनवाई अधिनियम की धारा–9 के तहत नहीं की जा सकती है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अधिनियम–2011 की धारा–9 के तहत सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रस्तुत वाद में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूखण्ड सर्वे खतियान में भीम पिता दुखन कुम्हार के नाम से दर्ज है। खतियान में जमीन का लगान दर्ज है। खतियानी रैयत की वंशावली इस प्रकार है।

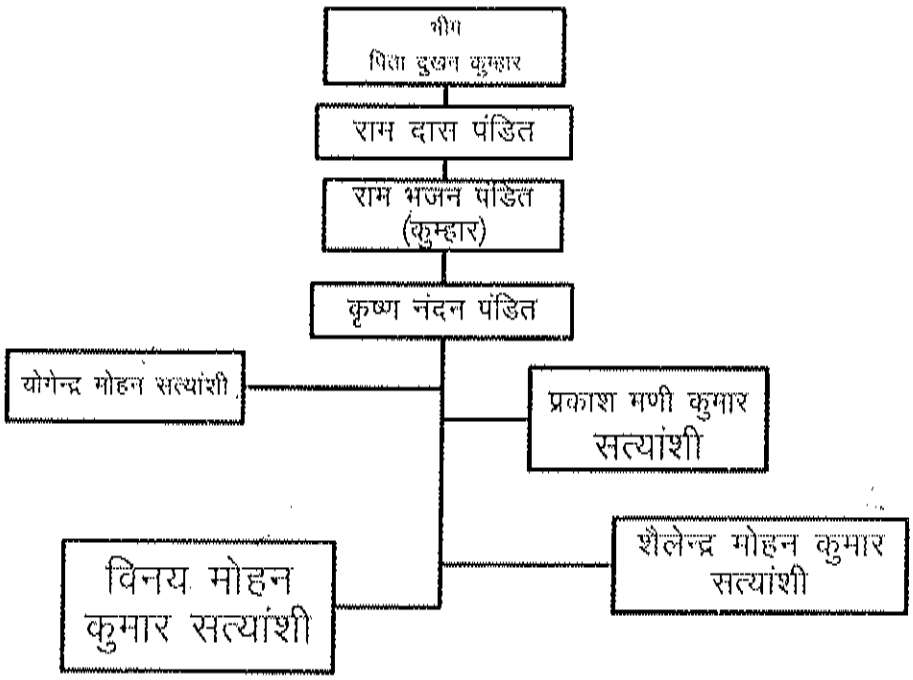

(2) आवेदक खतियानी रैयती के वैध उत्तराधिकारियों में से एक है, जिनके द्वारा आपसी बंटवारा के आधार पर विवादित भूखण्ड का दाखिल खारिज करने हेतु अंचलाधिकारी, मोकामा को आवेदन दिया गया।

(3) दाखिल खारिज वाद सं0 587/2013–14 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, मोकामा के द्वारा यह कहते हुए दिनांक 19.07.2013 को आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया कि जमीन का लगान निर्धारित नहीं है तथा राजस्व रसीद नहीं कट रही है। जबकि खतियान में लगान दर्ज है।

(4) दाखिल खारिज वाद सं0 587/2013–14 में दिनांक 19.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के न्यायालय में अपील सं0 17/2013–14 दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के न्यायालय में विपक्षी सं0 4 प्रवीण कुमार सिंह अंतःक्षेपक के रूप में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा खतियान को गलत बताते हुए

यह कहा गया कि आवेदक खतियानी रैयत के वंशज नहीं है, जबकि आवेदक के खतियानी रैयत के वंशज होने के अनेक साक्ष्य है।

(5) खतियान आवेदक के पूर्वज के नाम से कायम है। भूखण्ड आवेदक के दखल कब्जे में है, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा इन सब तथ्यों पर ब्यान दिए बिना दिनांक 23.06.2015 के आदेश से अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(6) आवेदक के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 17/2013–14 में दिनांक 23.06.2015 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0 4 प्रवीण कुमार सिंह का कथन है कि

(1) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 17/2013–14 में दिनांक 23.06.2015 को पारित आदेश पूर्णतः उचित एवं विधि सम्मत है तथा यह पुनरीक्षण वाद खारिज करने योग्य है।

(2) आवेदक एवं विपक्षी सं0 1 से 3 आपस में अपने भाई है तथा निम्न न्यायालय में यह तथ्य छुपाकर षडयंत्र के तहत विपक्षी सं0 4 की जमीन हड़पने के उद्देश्य से भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के न्यायालय में अपील दायर की गयी थी।

(3) आवेदक एवं विपक्षी सं0 1 से 3 का विवादित भूखण्ड पर कोई स्वत्व एवं दखल नहीं है। सर्वे खतियान में विवादित भूखण्ड के रैयत के रूप में भीम पिता दुखन कुम्हार का नाम त्रुटिवश अंकित हो गया था। वास्तव में विवादित भूखण्ड के मालिक विपक्षी सं0 4 के पूर्वज महावीर प्रसाद सिंह थे तथा भीम पिता दुखन कुम्हार, मालिक महावीर प्रसाद सिंह के लिए मजदूरी करते थे। विवादित भूखण्ड भूतपूर्व जमीन्दार के खास कब्जे में थी तथा कभी भी भीम पिता दुखन कुम्हार के दखल में नहीं रही है। भीम पिता दुखन कुम्हार के द्वारा कभी भी प्रश्नगत भूखण्ड का लगान अदा नहीं किया गया। बाद में भीम, पिता दुखन कुम्हार गाँव छोड़कर चले गये तथा उनकी मृत्यु निःसंतान हो गयी।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी सं0 4 के पूर्वज की सम्पति थी। खेवट सं0 26 एवं वर्ष 1929 के रोडसेस रिटर्न में विवादित खाता सं0 945 खेसरा सं0 381 विपक्षी सं0 4 के पूर्वज के खास दखल में दिखाया गया है। उक्त रोड सेस रिटर्न में भीम, पिता दुखन का नाम अंकित नहीं है।

(5) मात्र खतियान की प्रविष्टी के आधार पर आवेदक एवं विपक्षी सं0 1 से 3 का विवादित भूखण्ड पर स्वामित्व एवं दखल स्थापित नहीं होता। जमीन्दारी उन्मूलन के समय विवादित भूखण्ड विपक्षी सं0 4 के पूर्वज के खास दखल में थी। बिहार सरकार के द्वारा लगान निर्धारण वाद सं0 342/1959–60 के द्वारा विपक्षी सं0 4 के पूर्वज सुरेश प्रसाद सिंह के नाम से लगान निर्धारण कर जमाबंदी सं0 5 कायम की गयी।

(6) खानगी बंटवारा में विवादित भूखण्ड विपक्षी सं0 4 के पिता प्रमोद प्रसाद सिंह को मिला। प्रमोद प्रसाद सिंह विवादित भूखण्ड पर दखल में आये तथा दाखिल खारिज वाद सं0 90/27 वर्ष 1963–64 के

द्वारा प्रमोद प्रसाद सिंह के नाम से जमाबंदी सं0 53 कायम की गयी। कलान्तर में पंजी–2 का अन्ना फट जाने के कारण जमाबंदी संख्या में परिवर्तन हुआ। अभी भी प्रमोद प्रसाद सिंह की जमाबंदी सं0 49/15 पर विवादित भूखण्ड की लगान रसीद निर्गत हो रही है। सूचना के अधिकार के तहत यह सूचना अंचलाधिकारी, मोकामा से प्राप्त है।

(7) प्रमोद प्रसाद सिंह के विरूद्ध भू–हदबंदी वाद सं0 73/03 वर्ष 1976–77 चला था। उक्त भू–हदबंदी वाद में अन्य भूखण्ड के साथ विवादित भूखण्ड भी सम्मिलित था। दिनांक 16.02.1984 को प्रकाशित जिला गजट में सम्पूर्ण खेसरा 381 रकवा 1.02 एकड़ को प्रमोद प्रसाद सिंह की सम्पति बताया गया है। समाहर्ता, पटना के उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है।

(8) विवादित भूखण्ड पर आवेदक के द्वारा विवाद उत्पन्न किए जाने के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत वाद सं0 853/2013 चला था। जिसमें विवादित भूखण्ड पर विपक्षी सं0 4 का दखल पाया गया तथा अनुमंडल दण्डाधिकारी के द्वारा वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

(9) अंचलाधिकारी, मोकामा के द्वारा विविध वाद सं0 01/2014–15 के तहत दिनांक 20.06.2014 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ को अवगत कराया गया है कि विवादित भूखण्ड विपक्षी सं0 4 के दखल–कब्जा में है।

(10) आवेदक के भाई प्रकाशमणी कुमार सत्यांशी के द्वारा विवादित भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अलग से एक आवेदन अंचलाधिकारी, मोकामा को दिया गया था। दाखिल खारिज वाद सं0 1524/2013–14 के अंतर्गत अंचलाधिकारी, मोकामा के द्वारा दिनांक 23.12.2013 को आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की गयी।

(11) आवेदक के पिता कृष्ण नंदन पंडित तथा दादा रामभजन पंडित के द्वारा वर्ष 1972 में संयुक्त रूप से विवादित खेसरा से सटे खेसरा सं0 572 की बिक्री की गयी, जिसकी पश्चिमी चौहदी में विपक्षी सं0 4 के चाचा केदार बाबु का नाम खेसरा सं0 381 के मालिक के रूप में अंकित है। अर्थात आवेदक के पिता के द्वारा विवादित खेसरा पर विपक्षी सं0 4 के पूर्वज का दखल एवं स्वामित्व माना गया है।

(12) विपक्षी सं0 4 के पूर्वज के द्वारा विवादित खेसरा सं0 381 का 10–11 धूर भूखण्ड 40 वर्ष पहले अब्दुल मियाँ को बन्दोबस्त की गयी थी, जो आज भी अब्दुल मियाँ के दखल में है तथा इस पर अब्दुल मियाँ का मकान बना हुआ है। आवेदक के द्वारा कभी भी उस पर आपति नहीं की गयी। विपक्षी सं0 4 के पूर्वज के द्वारा विवादित भूखण्ड पर 80–85 वर्ष पूर्व एक कुआँ भी बनवाया गया था, जो आज भी मौजुद है।

(13) विवादित भूखण्ड की जमाबंदी विपक्षी सं0 4 के पिता के नाम से कायम है विभिन्न न्यायालय का आदेश है कि लम्बे समय से कायम जमाबंदी को निरस्त नहीं किया जा सकता।

(14) विपक्षी सं0 4 के द्वारा आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0 04 के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है :–

(1) खेवट सं0 26

(2) रोड सेस रिटर्न

(3) सूचना के अधिकार के अंचलाधिकारी, मोकामा के पत्रांक 507 दिनांक 10.06.2015 से दी गयी जमाबंदी सं0 53 एवं अन्य जमाबंदियों के संबंध में दी गयी सूचना

(4) दाखिल खारिज वाद सं0 90/27 वर्ष 1963–64 का आदेश

(5) भू–हदबंदी वाद सं0 73/07 वर्ष 1976–77 में अंचलाधिकारी, का सत्यापन प्रतिवेदन

(6) दिनांक 16.02.1984 का जिला गजट

(7) धारा–144 अन्तर्गत वाद सं0 853/2013 में दिनांक 28.11.2013 को पारित आदेश

(8) दिनांक 13.09.1972 का केवाला जो रामभजन पंडित एवं कृष्ण नंदन पंडित के द्वारा निष्पादित किया गया है एवं उसका हिन्दी अनुवाद

सुनवाई के क्रम में आवेदक की तरफ से विपक्षी के द्वारा दाखिल रोड सेस रिटर्न की छाया–प्रति की प्रमाणिकता पर प्रश्न उठाया गया। इस न्यायालय के आदेश के आलोक में दिनांक 30.12.2017 को जिला अभिलेखागार के प्रधान सहायक प्रश्नगत रोड सेस रिटर्न की मूल प्रति के साथ इस न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मूल प्रति का अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) आवेदक भीम, पिता दुखन कुम्हार को विवादित भूखण्ड का रैयत बताते है तथा स्वंय को भीम का वंशज बताते हुए विवादित भूखण्ड पर दावा करते है।

विपक्षी सं0 4 का कहना है कि विवादित भूखण्ड पर भीम, पिता दुखन कुम्हार कभी भी दखल में नहीं रहे। विवादित भूखण्ड हमेशा से विपक्षी सं0 4 के पूर्वज के दखल–कब्जा में थी। वर्ष 1929 का रोड सेस रिर्टन विपक्षी सं0 4 के पूर्वज के नाम से है। वर्ष 1959–60 में ही विपक्षी सं0 4 के पूर्वज सुरेश प्रसाद सिंह के नाम से लगान निर्धारण हुआ था तथा उनके नाम से जमाबंदी सं0 5 कायम की गयी थी। पुनः आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 90/27 वर्ष 1963–64 के द्वारा विपक्षी सं0 4 के पिता प्रमोद प्रसाद सिंह के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। आज भी विपक्षी सं0 4 प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में है तथा उनके पिता प्रमोद प्रसाद सिंह के नाम से लगान रसीद निर्गत हो रही है।

आवेदक केवल खतियान के आधार पर दावा कर रहे हैं। प्रश्नगत

भूखण्ड पर उनके दखल–कब्जा का कोई प्रमाण उनके द्वारा दाखिल नहीं किया गया।

(2) विपक्षी सं0 4 का कहना है कि भीम पिता दुखन कुम्हार की मृत्यु निःसंतान अवस्था में हो गया थी। आवेदक एवं विपक्षी सं0 1 से 3 भीम पिता दुखन कुम्हार के वंशज नहीं है। दूसरी तरफ आवेदक के द्वारा स्वंय को भीम पिता दुखन कुम्हार का वंशज बताते हुए नगर निगम की रसीद, राजस्व लगान की छायाप्रति निम्न न्यायालय में दाखिल की गयी थी।

आवेदक, भीम पिता दुखन कुम्हार के वंशज है अथवा नहीं, इसका निर्धारण सक्षम व्यवहार न्यायालय में ही हो सकता है।

(3) विवादित भूखण्ड यदि वर्ष 1910 के सर्वे खतियान के अनुसार आवेदक के पूर्वज की थी, तो अभी तक आवेदक के पूर्वज के नाम से जमाबंदी क्यों नहीं कायम हुई। 105 वर्षो के बाद विवादित भूखण्ड पर दावा किए जाने का कोई समुचित आधार आवेदक के पास नहीं है।

(4) दाखिल खारिज का सबसे महत्वपूर्ण आधार दखल–कब्जा होता है। प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक का दखल–कब्जा नहीं है। विविध वाद सं0 01/2014–15 में भी विवादित भूखण्ड पर विपक्षी सं0 4 का दखल–कब्जा प्रतिवेदित किया गया है। विपक्षी सं0 4 के द्वारा दाखिल विभिन्न साक्ष्य यथा रोड सेस रिटर्न, दाखिल खारिज वाद सं0 90/27 वर्ष 1963–64, भू–हदबंदी वाद सं0 73/7 वर्ष 1976–77 का प्रतिवेदन एवं जिला गजट की प्रति से विवादित भूखण्ड पर विपक्षी सं0 4 का दखल कब्जा प्रमाणित होता है।

(5) आवेदक के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा–144 के अन्तर्गत वाद सं0 382/16 में दिनांक 22.09.2016 को पारित आदेश की सत्यापित प्रति की छाया प्रति दाखिल की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के न्यायालय में प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर उक्त वाद योगेन्द्र मोहन कुमार सत्यांशी के द्वारा प्रवीण कुमार सिंह वगैरह के विरूद्ध लाया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के द्वारा इसे स्वत्व का मामला बताते हुए दिनांक 22.09.2016 को वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित भूखण्ड पर आवेदक का दखल–कब्जा नहीं है, अतः विवादित भूखण्ड उनके नाम से दाखिल खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 17/2013–14 में दिनांक 23.06.2015 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना